**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 510 of 2024

IN THE MATTER OF:
DEVESH KUMAR VERMA ...APPLICANT

Versus

UNION OF INDIA &ORS. ...RESPONDENT

INDEX

SL.	PARTICULARS	PAGES
1	Reply/ Report on behalf of UP Pollution Control Board	1-4
2	**Annexure-1** True copy of the closure order dated 04.02.2025	5-7
3	**Annexure-2** True copy of the letter dated 10.02.2025	8
4	**Annexure-3** True copy of the sealing report dated 20.02.2025	9-
5	**Annexure-4** True copy of the inspection report and photograph dated 08.08.2025	10

6	**Annexure-5** True copy of the order dated 23.07.2025	11-34

NEW DELHI

DATED: 18.08.2025

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
NOTARIAL FIVE RUPEES NOTARIAL FIVE RUPEES
उदय कृष्ण चतुर्वेदी U.K. Chaturvedi Reg.No -13373/1 NOTARY GOVT. OF INDIA 14-8-25

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 510/2024

IN THE MATTER OF:

Devesh Kumar Verma **...Applicant**

Versus

Union of India & Ors. **...Respondent**

Uday Krishna
Notary Govt. of India
Civil Court Varanasi
14-Aug-2025

STATUS REPORT ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 08.05.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I, ...Rohit Singh.... aged about....53.......Year S/o Shri ..N.C. Sachan..... presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter "UPPCB), Varanasi, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the above-noted capacity, I am well conversant with the facts and records of the present case and am authorized to swear the present affidavit on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board.

2. That in the Original Application, the Applicant has sought that the Respondent No. 5 - M/s. Shiv Shakti Traders, a parboiled rice mill, be shifted as it is currently located and operating in densely populated area.

नोटरी भारत सरकार उदय कृष्ण चतुर्वेदी U.K. Chaturvedi Reg.No -13373/1 14-08-25 NOTARY GOVT. OF INDIA

3. That upon considering the matter in question this Hon'ble Tribunal has vide its order dated 08.05.2024 while disposing the present matter has directed the UPPCB to conduct the inspection of Respondent No. 5 unit and ensure that Respondent No. 5 does not operate in violation of norms and contrary to the orders already passed by the competent authority and submit an action taken report before the Ld. Registrar General of this Hon'ble Tribunal.

4. That in compliance to the above direction passed by this Hon'ble Tribunal the following action was taken:

   i. The closure order against the industry M/s Shiv Shakti Tredars, Arazi No.-129, 130 & 132, Village-Ichauli, Post-Tandawa, Tehsil-Muhammdabad, District-Varanasi has been issued by the UPPCB vide letter no. H23734/C-6/Sa-779/Bandi Adesh/Varanasi/2024 dated 04.02.2025.

      A true copy of the closure order dated 04.02.2025 is annexed herewith and as **Annexure-1**.

   ii. The District Magistrate, Ghazipur vide its letter no. 2430/M/s Shiv Shakti Tredars/24-25 dated 10.02.2025 had constituted a joint committee, comprising Deputy District Magistrate, Muhammadabad, Gazipur, Circle Officer, Muhammadabad, Gazipur, Executive Engineer, U. P. Power Corporation Ltd., Gazipur, UPPCB and Deputy Commissioner of Industries Promotion and Entrepreneurship Development, Gazipur for compliance of closure order issued by the UPPCB.

      A true copy of the letter dated 10.02.2025 is being annexed herewith as **Annexure-2**.

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/1
14.08.25
NOTARY GOVT. OF INDIA

iii. In pursuance to the closure order issued against the industry in question under Section-31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, as amended, the above said constituted joint committee has disconnected the electricity connection of the said industries and also sealed the source of pollution of the industry on date 20.02.2025, i.e. Fuel feeding point of the boiler, ID fan of boiler and Milling process. The said seal is being handed over to the concerned police station.

A true copy of the sealing report dated 20.02.2025 along with the photographs taken during sealing is annexed herewith and marked as **Annexure-3**.

iv. That earlier inspection of industry conduted on dated 08.08.2025. During inspection industry was found close and non operational. Copy of the inspection report with photgraph dated 08.08.2025 is annexed herewith as **Annexure-4.**

5. That further it is worthwhile to mention here that the closure order dated 04.02.2025, contained as annexure-1, has been set aside/canceled by the Appellate Authority/Special Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, State of UP vide its order dated 23.07.2025 passed in Appeal No.-16/2005, Kanhaiya Gupta Versus UPPCB & Ors.

A true copy of the order dated 23.07.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure-5**

6. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/1
NOTARY GOVT. OF INDIA

7. That the above reply on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

DEPONENT

NOTARY GOVT. OF INDIA
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/1
14.8.25

VERIFICATION:

I, the deponent abovenamed, do hereby verify that the contents of above reply are true and correct to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing material has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE .14.. DAY OF AUGUST, 2025 AT Varanasi.......

DEPONENT

Notarial
Reg. Affidavit
Document Self
ID 14.8.25
Date
Place
Sr No. 11181

Uday Krishna
Notary Govt. of India
Civil Court Varanasi
14 Aug, 2025

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या/.........2373/स्ती–6/सा0–779/बंदी आदेश/वाराणसी/2024 दिनांक 4-2-25

पंजीकृत

मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स,
आराजी सं0–129, 130, 131 एवं 132,
ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मोहम्मदाबाद,
जनपद–गाजीपुर।
मो० नं० - 9415311971

यह कि मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, आराजी सं0–129, 130, 131 एवं 132 ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तह0–मोहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा। उद्योग में कच्चे माल के रूप में धान का प्रयोग कर स्टीम राईस का उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2 (ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, आराजी सं0–129, 130, 131 एवं 132, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मोहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर को बोर्ड के पत्र संख्या–एच 01468/वृत्त–6/सा–779/गाजीपुर/2023, दिनांक 04.10.2023 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके सन्दर्भ में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा पत्र संख्या–212/शिव शक्ति ट्रेडर्स/24–25 दिनांक 30.05.2024 के द्वारा संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी है। क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी एवं समिति की आख्या के सुसंगत अंश निम्नवत है :–

1. उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मोहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर के प्रत्यावेदन दिनांक शून्य के अनुक्रम में बोर्ड के कार्यालय आदेश संख्या 29/अध्यक्ष कैम्प/2024, दिनांक 02.05.2024 द्वारा 03 सदस्यीय समिति गठित की गयी। समिति द्वारा उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 06.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के सयम श्री कन्हैया गुप्ता, प्रोपराईटर उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे।
2. उक्त उद्योग ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मोहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर के आराजी संख्या 129, 130, 131 एवं 132 पर स्थित है।
3. उद्योग में 4.0 टन/घन्टा वाष्पजनन क्षमता का एक अदद ब्यायलर स्थापित है। उद्योग में कच्चे माल के रूप में धान का प्रयोग कर स्टीम राईस 4.0 टन/घन्टा का उत्पादन किया जाता है।
4. उद्योग में 160 के0वी0ए0 एवं 20 के0वी0ए0 क्षमता के दो अदद डी0जी0 सेट स्थापित है समिति के निरीक्षण के समय डी0जी0 सेट के एग्जास्ट पर चिमनी की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी।
5. इकाई के पीछे पश्चिम दिशा में सटे श्री बीगन ठाकुर का मकान तत्पश्चात बसवार तथा दक्षिण दिशा में सटे लिंक रोड तत्पश्चात आबादी पायी गयी। इकाई के सामने पूरब दिशा में यूसुफपुर–कासिमाबाद रोड एवं लगभग 70 मीटर की दूरी पर कम्पोजिट विद्यालय इचौली, शिक्षा क्षेत्र, मुहम्मदाबाद स्थित है। इकाई के उत्तर दिशा में सटे उद्योग स्वामी का आवासीय मकान एवं लगभग 50 मीटर की दूरी पर ग्राम–इचौली की आबादी स्थित है। इकाई के समीप आबादी एवं कम्पोजिट विद्यालय स्थित है। प्रश्नगत् इकाई के संचालन से आस–पास के क्षेत्र में बसी हुई आबादी में रहने वाले नागरिकों तथा विद्यालय के बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
6. इकाई में बाउण्ड्रीवाल के किनारे–किनारे लगभग 30–40 पौधे रोपित पाये गये, जिन्हे देखने से प्रतीत हो रहा था कि पौधों का रोपड़ कुछ दिन पूर्व हुआ होगा।
7. उद्योग द्वारा भू–प्रयोग सम्बन्धी प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है।
8. उद्योग से जनित वेस्ट वाटर के ट्रीटमेन्ट हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं किया गया है।
9. मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका–सी नं0 5638/2024 मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य एवं अन्य में दिनांक 23.02.2024 को आदेश पारित किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

" ....In such view of the matter, the order dated 18.9.2023 shall be treated as a notice and petitioner will have opportunity to submit a reply within ten days from today. The concerned authority shall accord consideration to petitioner's reply and pass a reasoned order within a further period of four weeks thereafter. Till a fresh

Scanned with OKEN Scanner

order in terms of above direction is passed by the Regional Officer, no coercive action would be taken against the petitioner. The parties are otherwise directed to maintain status quo with regard to nature and possession of the property, as it exists today........ "

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 23.02.2024 के अनुपालन के संदर्भ में मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम–इचौली, पो0–टड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 01.03.2024 के द्वारा पंजीकृत डाक से प्रत्यावेदन क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को प्रेषित किया गया है, जो कार्यालय में दिनांक 04.03.2024 को प्राप्त हुआ। उद्योग से प्राप्त प्रत्यावेदन के संदर्भ में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सुनवाई दिनांक 23.03.2024 को किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 23.02.2024 के अनुपालन में उक्त संदर्भित उद्योग के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय में निम्नवत् उल्लेख किया गया है:–

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत् प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 23.02.2024 के अनुपालन में उक्त संदर्भित उद्योग के सम्बंध में क्षेत्रीय अधिकारी वाराणसी द्वारा दिये गये निर्णय में निम्नवत् उल्लेख किया गया है:–

''......................उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर राज्य बोर्ड के पत्र संख्या 18.09.2023 के माध्यम से पारित आदेश वापस लिया जाना विधि सम्मत एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उचित नहीं है। आदेश वापस लिए जाने तथा उद्योग को संचालित किये जाने हेतु अनुमति दिये जाने की दशा में आस–पास के क्षेत्र में बसी हुई आबादी में रहने वाले नागरिकों तथा विद्यालय के बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः राज्य बोर्ड के पत्र संख्या 1557/सहमति/शिव शक्ति ट्रेडर्स/23–24, दिनांक 18.09.2023 के माध्यम से सहमति (जल एवं वायु) रिवोक/निरस्त किये जाने सम्बंधी आदेश में परिवर्तन किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है तथा इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन/प्रतिउत्तर दिनांक 01.03.2024 बलहीन है। तद्नुसार पत्र दिनांक 04.10.2023 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 'ए' के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित किये जाने सम्बंधी प्रश्नगत उद्योग के प्रत्यावेदन के दृष्टिगत उक्त कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित किये जाने की संस्तुति नहीं किये जाने योग्य है। तद्नुसार इकाई द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 01.03.2024 मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका–सी नं0 5638/2024 मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.02.2024 के समादर में निस्तारित किया जाता है एवं वर्तमान में इकाई का अन्य कोई प्रत्यावेदन इस कार्यालय में विचाराधीन नहीं है।''

10. प्रश्नगत उद्योग के सम्बंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 510/2024 (देवेश कुमार वर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

1 In this original application, Applicant has raised the grievance against Respondent No. 5 - M/s. Shiv Shakti Traders – a parboiled rice mill and the prayer of the Applicant is that the respondents be directed for immediate shifting of Respondent No. 5 which is currently located and operating in densely populated area.

2 Learned Counsel for the Applicant has submitted that Respondent No. 5 is operating without Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO). He has further submitted that CCA was issued to Respondent No. 5 on 11.08.2023 valid for the period of 03.08.2023 to 02.02.2024 but on account of several violations committed by Respondent No. 5, the CCA was revoked by the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) by order dated 18.09.2023 and in that order, as many as 13 violations by Respondent No. 5 were noted.

3 The submission of Counsel for the Applicant is that in spite of revocation of CCA, Respondent No. 5 is operating illegally at night.

4 The above facts clearly reveal that the requisite action for violation of environmental norms has already taken by the concerned authority against Respondent No. 5 and if Respondent No. 5, in spite of orders by the authorities, is illegally operating then the Member Secretary, UPPCB is required to take appropriate action.

Scanned with OKEN Scanner

5 Hence, we dispose of the OA directing the Member Secretary, UPPCB to get the inspection of Respondent No. 5 unit done and ensure that Respondent No. 5 does not operate in violation of norms and contrary to the orders already passed by the competent authority. Let the action taken report be submitted by the Member Secretary, UPPCB within two months before the Registrar General of the Tribunal by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed for consideration before the Bench.

6 OA is accordingly disposed of.

11. समिति के निरीक्षण के समय उद्योग से सटे पश्चिम दिशा में स्थित पोखरी में उद्योग से जनित राख का निस्तारण पाया गया।

12. समिति के निरीक्षण के समय राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 11.08.2023 को निर्गत सशर्त सहमति आदेश की अधिकांश शर्तों का अनुपालन नहीं पाया गया था, जो दिनांक 18.09.2023 को रिवोक/निरस्त की गयी थी।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा पत्र दिनांक 30.05.2024 के माध्यम से उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, आराजी संख्या 129, 130, 131 एवं 132, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तह0–मोहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31 ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस **दिनांक 04.10.2023** की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतएव जन–स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः उद्योग के उपरोक्त तथ्यों एवं मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2024 एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी की संस्तुति को दृष्टिगत **रखते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोद्नोपरानत** उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, आराजी सं0–129, 130, 131 एवं 132, **ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मोहम्मदाबाद,** जनपद–गाजीपुर के विरूद्ध वायु (प्रदषण निवारण तथा नियंत्रण) **अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31(ए)** के अन्तर्गत निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.10.2023 की **पुष्टि करते हुए निम्नरूपेण बन्दी आदेश** जारी किये जाते हैः–

1. यह कि उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, आराजी सं0–129, 130, 131 एवं 132, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मोहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती हैं कि उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, आराजी सं0–129, 130, 131 एवं 132, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मोहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर को मिलने वाली विद्युत तथा जल आपूर्ति तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दे।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त–6)

<u>**प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**</u>

1 जिलाधिकारी, गाजीपुर।
2 पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
3 अधिशाषी अभियन्ता,उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजीपुर।
4 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए उद्योग को जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या तत्काल प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त–6)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी / जिला मस्ट्रिेट, गाजीपुर

पत्रांकः– 2430/ मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स /24-25 दिनांक : 10/02/2025

आदेश

बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या एच 23734 / सी–6 / सा0–779 / बन्दी आदेश/ वाराणसी /2024, दिनांक 04.02.2025 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31 'ए' के अन्तर्गत मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, आराजी संख्या 129, 130, 131 एवं 132, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित की जाती है :–

1. उपजिलाधिकारी, मुहम्मदाबाद, गाजीपुर / नामित अधिकारी / मजिस्ट्रेट।
2. पुलिस क्षेत्राधिकारी, मुहम्मदाबाद, गाजीपुर / नामित सम्बंधित थानाध्यक्ष।
3. अधिशाषी अभियंता, उ0 प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजीपुर / नामित अधिकारी।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी। / नामित अधिकारी।
5. उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, गाजीपुर / नामित अधिकारी।

उक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर उक्त संदर्भित उद्योग के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन एवं विद्युत संयोजन विच्छेदन कराकर आख्या उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

07.2.25

(आर्यका अखौरी)
जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट
गाजीपुर

पत्रांक एवं दिनांक–उपरोक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
2. समिति के समस्त सदस्यों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

07.2.25

जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट
गाजीपुर

मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, आराजी संख्या 129, 130, 131 एवं 132, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 'ए' के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदया, गाजीपुर के आदेश दिनांक 10.02.2025 के द्वारा गठित संयुक्त समिति की अनुपालन आख्या।

बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या एच 23734/सी–6/सा0–779/बन्दी आदेश/वाराणसी/2024, दिनांक 04.02.2025 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31'ए' के अन्तर्गत मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, आराजी संख्या 129, 130, 131 एवं 132, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदया, गाज़ीपुर के आदेश दिनांक 10.02.2025 द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा उद्योग बन्दी सुनिश्चित करने के दृष्टिगत आज दिनांक 20/02/2025 को उद्योग का विद्युत संयोजन के विच्छेदन का कार्य कराया गया तथा उद्योग के निम्नलिखित प्रदूषण किये जाने वाले श्रोतों को सील किया गया। उक्त सील सुपुर्दगी एवं निगरानी सम्बन्धित थाने को दी जा रही है।

1. ब्वायलर का फ्यूल फीडिंग प्वाईंट
2. ब्वायलर का आई0डी0 फैन
3. मिलिंग प्रोसेस

(राम प्रीत) 20/2/25
तहसीलदार
मुहम्मदाबाद गाजीपुर

(शशि कान्त) 20-2-25
अपर सांख्यकीय अधिकारी
उद्योग विभाग उ0प्र0
गाजीपुर

20.2.25
(राजनाथ चौधरी)
वैज्ञानिक सहायक
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
वाराणसी

20.2.25
(विनोद [illegible])
JE बिजली विभाग
MBD

20/2
(ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी)
उप-निरीक्षक
थाना-कोतवाली मुहम्मदाबाद
गाजीपुर

हस्ताक्षर करने से मना किया
(किशुन गुप्ता)
उद्योग प्रतिनिधी
शिव शक्ति ट्रेडर्स,
इचौली, गाजीपुर

मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, आराजी संख्या 129, 130, 131 एवं 132, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मोहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

उक्त संदर्भित उद्योग का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 08.08.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग का संचालन बन्द पाया गया तथा श्री किसुन गुप्ता, उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

1. उक्त उद्योग ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मोहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर के आराजी संख्या 129, 130, 131 एवं 132 पर स्थापित है तथा कच्चे माल के रूप में धान का प्रयोग कर स्टीम राईस उत्पादन क्षमता–4.0 टन/घण्टा स्थापित है, उत्पादन प्रक्रिया हेतु इकाई में 4.0 टन/घण्टा वाष्पजनन क्षमता का एक अदद ब्वायलर स्थापित है।
2. संदर्भित उद्योग को विगत में किये गये निरीक्षण दिनांक 06.05.2024 के आधार पर राज्य बोर्ड के पत्रांक एच. 23734/सी–6/सा0–779/बन्दी आदेश/ वाराणसी/2024, दिनांक 04.02.2025 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासशोधित) की धारा–33 'ए' के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया था। तत्क्रम में जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश पत्रांक दिनांक 10.02.2025 के अनुपालन में उद्योग के बन्दी आदेश सुनिश्चित करने के दृष्टिगत दिनांक 20.02.2025 को उद्योग का संचालन बन्द करा दिया गया था तथा उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण किये जाने वाले श्रोतों को सील किया गया था। जिसकी अनुपालन आख्या क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2545/मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स/ 2024–25 दिनांक 21.02.2025 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित की गयी थी।
3. निरीक्षण के समय उद्योग बन्दी आदेश के अनुपालन में बन्द पाया गया तथा उद्योग पर लगाये गये सील सुरक्षित पाये गये। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफस निम्नवत् है।

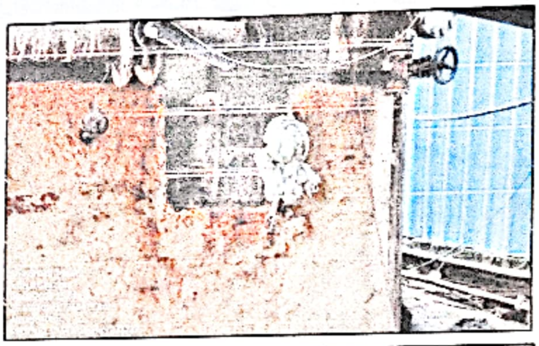

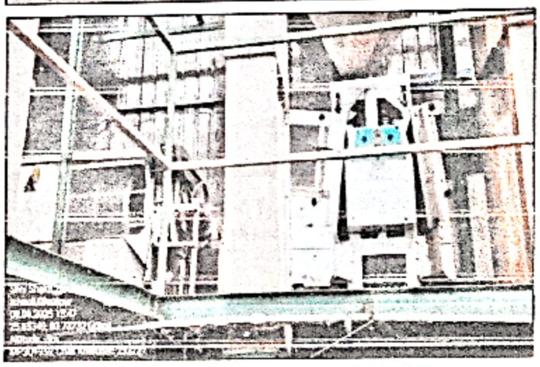

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

13-8-25   13.8.25

(एस0के0 पाण्डेय)   (आर0एन0 चौधरी)
प्रयोगशाला सहायक   वैज्ञानिक सहायक

<u>क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,</u>

13/8/25

अपीलीय प्राधिकारी/विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।

अपील अन्तर्गत धारा–31 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं अन्तर्गत धारा–28, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, अपील संख्या–16/2025

कन्हैया गुप्ता ....**अपीलकर्ता**

बनाम

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ व अन्य ....**प्रतिवादी**

निर्णय

प्रस्तुत अपील वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31 तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–28 के अन्तर्गत अपीलकर्ता कन्हैया गुप्ता, प्रोप्राइटर शिव शक्ति ट्रेडर्स ग्राम इचौली, पोस्ट–तडवा, जिला गाजीपुर द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की यथा संशोधित धारा–31A के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका–सी–नं0 5638/2024 मे0 शिव शक्ति ट्रेडर्स व अन्य आदेश दिनांक 23.02.2024 के अनुक्रम में उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 01.03.2024 पर पारित आदेश दिनांक 30.03.2024 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित धारा–31A के अन्तर्गत निर्गत नोटिस दिनांक 04.10.2023 की पुष्टि करते हुए पारित बन्दीकरण आदेश दिनांक 04.02.2025 के विरूद्ध योजित की गई है। अपीलकर्ता/प्रोप्राइटर श्री कन्हैया गुप्ता मय अधिवक्ता श्री आशुतोष पाण्डेय तथा प्रतिवादी की ओर से श्री अनुज कुमार चौबे, विधि

अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ उपस्थित हुए। उभय पक्षों का सुना गया।

2. सर्वप्रथम उभयपक्षों को अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत देरी माफी प्रार्थना पत्र पर सुना। अपीलकर्ता का कथन है कि वह प्रकरण में अपील किये जाने संबंधी विधिक व्यवस्था से भिज्ञ नहीं था इसलिए उसके द्वारा आक्षेपित आदेश को सर्वप्रथम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका न्यूट्रल साइटेशन–2025:ए0एच0सी0:44735–डी0बी0 में चुनौती दी गयी। तत्समय अपील की व्यवस्था उसके संज्ञान में आने पर उसके द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। उसके द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया। प्रतिपक्षी द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया। उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त न्याय हित में अपील मेमो दिनांक 26.05.2025 के साथ प्रस्तुत देरी माफी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

3. अपीलकर्ता द्वारा अपने अपील मेमो मे कथन किया गया है कि उसके पिता श्री सर्वचन्द्र गुप्ता द्वारा वर्ष 2002 में स्थापित चावल मिल को उसके द्वारा चलाया जा रहा था, जिसके लिए उसके द्वारा जिला बोर्ड, क्षेत्र समिति आदि से अनुमतियाँ प्राप्त की गयीं थीं। दिनांक 01.07.2002 की रसीद और जिला बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत चावल मिल की फीस की अन्य रसीदें तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 31.12.2012 को जारी प्रपत्र–सी लाइसेंस की फोटोकापी संलग्न है। उक्त चावल मिल आराजी सं0 129,130,131 और 132 ग्राम इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जिला–गाजीपुर में स्थापित है। राइस मिल स्थापना के समय मिल के आसपास कोई आबादी या आवासीय मकान नहीं था। 1430 फसली के खसरे में राइस मिल (शिव शक्ति ट्रेडर्स) की प्रविष्टि है। ग्राम–इचौली में ही श्री राम पति वर्मा व उनके पुत्रों अमरेश कुमार वर्मा, श्री राजेश कुमार वर्मा एवं अमरेन्द्र कुमार वर्मा को परिवार भी रहते हैं। इनमें से श्री अमरेन्द्र

कुमार एक वरिष्ठ पी0सी0एस0 (अपर जिलाधिकारी) हैं। श्री अमरेश कुमार वर्मा के इसी गांव के पूर्व प्रधान हैं। श्री देवेश वर्मा व कु0 भवाना वर्मा राजेश वर्मा के पुत्र व पुत्री हैं। श्री अमरेश कुमार वर्मा प्रभावशाली व्यक्ति है एवं गांव की राजनीति के कारण अपीलकर्ता और उनके परिवार के साथ प्रतिद्वंद्विता रखता है एवं उनके सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। उल्लेखनीय है कि श्री अमरेश कुमार वर्मा ने उप–जिला मजिस्ट्रेट, मुहम्मदाबाद, गाजीपुर के समक्ष धारा 133 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही हेतु शिकायत की थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी के समक्ष भी श्री देवेश वर्मा एवं कु0 भावना वर्मा ने दिनांक 04.06.2023 को भी शिकायत दर्ज करायी। क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 11.08.2023 के आदेश द्वारा दिनांक 03.08.2023 से 02.02.2024 तक मिल संचालन और समेकित सहमति सीसीए प्रदान की गयी थी। श्री अमरेन्द्र कुमार वर्मा के प्रभाव के कारण अवैध रूप से तथा सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना उक्त आदेश को क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी द्वारा पारित अपने आदेश दिनांक 18.09.2023 द्वारा खारिज कर दिया गया। श्री देवेश कुमार वर्मा ने जनहित याचिका संख्या 2297/2023 (देवेश कुमार वर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य एवं 05 अन्य) भी दायर की है। वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी द्वारा दिनांक 27.05.2023 को आदेश निर्गत किया गया। मुख्य पर्यावरण अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 27.06.2023 के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी से दो विशिष्ट बिन्दुओं पर रिपोर्ट देने को कहा (1) क्या स्कूल और आबादी इकाई (मिल) की स्थापना से पहले या बाद में विकसित की गई थी? (2) क्या आवासीय क्षेत्र के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई प्रमाण पत्र है? क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 05.07.2023 द्वारा चार विशिष्ट

बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया। जिसका संमुचित जवाब मय साक्ष्यों सहित दिया गया। दिनांक 06.02.2023 को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25/26 के अन्तर्गत उत्सर्जन जारी रखने और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष एक ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के आधार पर खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचालन) नियम 2016 के अन्तर्गत खतरनाक और अन्य अपशिष्ट के उत्पादन या संग्रह या भंडारण या अन्य निपटान के लिए प्राधिकरण के अनुदान/नवीनीकरण के लिए भी दिनांक 06.02.2023 को ऑनलाइन आवेदन किया था। दिनांक 11.08.2023 को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समेकित संचालन सहमति एवं प्राधिकार (सीसीए) दिनांक 03.08.2023 से 02.02.2024 तक ऑनलाइन प्रदान किया गया। दिनांक 20.09.2023 को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ऋण सीमा 100.00 लाख रूपये से बढ़ाकर 300.00 लाख रूपये कर दी गयी है। दिनांक 26.09.2023 को श्री अमरेश कुमार वर्मा एवं अन्य की शिकायत पर उप–जिला मजिस्ट्रेट, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर ने धारा 133 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया गया। जिसके अनुक्रम में दिनांक 09.10.2023 को अपीलकार्ता के छोटे भाई किशन गुप्ता ने अपीलार्थी की ओर उप–जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष जबाव दाखिल किया। चूंकि जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र उद्योगों के लिए भूमि आदि उपलब्ध कराकर छोटे उद्योगपतियों की सहायता करता है, अतः दिनांक 15.09.2023 को आयुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, गाजीपुर से चावल मिल स्थापित करने के लिए छः बीघा भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अमरेश वर्मा के पोते और पोती क्रमशः देवेश कुमार वर्मा और कु0 भावना वर्मा की शिकायत पर दिनांक 18.09.2023 के आदेश को, सुनवाई का अवसर दिए बिना, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी

द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के आदेश क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए आदेश दिनांक 11.08.2023 को निरस्त कर दिया गया। दिनांक 08.09.2023 के तथाकथित निरीक्षण में न तो अपीलकर्ता और न ही उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित था और पूरी कार्यवाही एकपक्षीय और दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गयी है। दिनांक 18.09.2023 के अनुसरण में मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा दिनांक 04.10.2023 को नोटिस के माध्यम से 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया। दिनांक 12.10.2023 को प्रतिनिधि किशन गुप्ता के माध्यम से सात बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। जबकि इसके पूर्व ही दिनांक 18.09.2023 के आदेश के अनुसरण में स्थानीय प्रशासन द्वारा पहले ही चावल मिल बन्द करने हेतु बाध्य कर दिया गया। अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 18.09.2023 एवं 04.10.2023 के आदेश से असहमत हो कर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका रिट–सी संख्या–5638/2024 (मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य) दायर की गयी। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 23.02.2024 के आदेश में स्पष्ट किया कि आदेश दिनांक 18.09.2023 को एक नोटिस के रूप में माना जायेगा और अपीलकर्ता 10 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करेगा। सम्बन्धित प्राधिकारी जबाव पर विचार कर चार सप्ताह की अतिरिक्त अवधि में तर्कसंगत आदेश पारित करेगा। दिनांक 23.02.2024 के अनुपालन में पांच बिन्दुओं पर जवाब उपलब्ध कराया गया (1) चावल मिल समय–समय पर जल एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की गयी है। (2) चिमनी से जुड़ा निकास पाइप संबंधित नियमों के तहत प्रदान किये गये मानक के अनुसार स्थापित है। (3) चावल मिल के संचालन के दौरान उत्पन्न राख को पास के खुले क्षेत्र में न फेंक कर भूमि के एक टुकड़े में उचित रूप से रखा जा रहा है। (4) मिल के पास वनीकरण का

कार्य कराया जा रहा है जिससे चावल मिल के संचालन से क्षेत्रीय पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। (5) मिल के संचालन के समय फर्श पर बिखरी राख को नियमित अंतराल पर साफ किया जाता है। अपीलकर्ता के उत्तर पर बिना गुण–दोष के जांचे और बिना मौका–मुआयना किये निर्णय दिया गया। श्रीमती भावना वर्मा और श्री दिनेश वर्मा के रिश्तेदार के कहने पर तत्काल अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गयी। जिस कारण चावल मिल चला पाना मुश्किल हो गया। दिनांक 30.03.2024 के आदेश में मात्र नोटिस के निष्कर्षों और शिकायतकर्ता के कहने पर तैयार गयी रिपोर्ट को दोहराया। आपेक्षित बयानों में अपीलकर्ता के विरूद्ध झूठी गवाही दी गयी। मिल के पास रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने चावल मिल के संचालन के विरूद्ध कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी है, बल्कि उनके द्वारा नोटरी हलफनामे के माध्यम से कहा गया है कि मिल उनके आवास के पास स्थित है परन्तु इससे उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है। सुनवाई के दौरान हलफनामा देने वाले व्यक्तियों को भी नहीं सुना गया। प्रतिवादी का एक मात्र मकसद चावल मिल को बन्द कराना है। क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी के आदेश दिनांक 30.03.2024 द्वारा 11.08.2023 के सी0टी0ओ0 को रद्द कर दिया गया। साथ ही आरोप लगाया गया कि उद्योग/चावल मिल से सटे तालाब में चावल की भूसी जलाने से उत्पन्न राख को अवैध रूप से डंप किया गया एवं आस–पास क्षेत्र में बिखरी हुई पायी गयी और बॉयलर से जुड़ी चिमनी/निकास पाइप की ऊँचाई सी0टी0ओ0 दिनांक 11.08.2023 के नियम व शर्तों के अनुरूप नहीं पायी गयी। प्रतिवादी द्वारा जल प्रदूषण अधिनियम की धारा–21 और वायु प्रदूषण अधिनियम की धारा–26 के तहत प्रदूषण का निर्धारण करने हेतु न ही नमूने का परीक्षण कराया गया और न ही इसे उचित समझा गया। जबकि स्थलीय निरीक्षण के पश्चात ही सी0टी0ओ0 परमिट प्रदान किया गया था। प्रतिवादी द्वारा मा0 न्यायालय में कहा गया

कि चावल मिल के बॉयलर से जुड़ी चिमनी/निकास पाइप दिनांक 11.08.2023 के सी0टी0ओ0 के अनुरूप नहीं है इसलिए चावल मिल चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जबकि बॉयलर के निकास पाइप में स्क्रबर लगा होने के कारण हानिकारक पदार्थों के उत्सर्जन नहीं होता है। इसकी पुष्टि बॉयलर निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा जारी प्रमाण पत्र से भी की जा सकती है। श्री देवेश कुमार वर्मा ने यू0पी0 मानवाधिकार आयोग, लखनऊ के समक्ष भी अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी निजी हित में उद्योग/चावल मिल को पूरी तरह से बंद कराने के लिए दृढ़ है। जबकि चावल मिल में उबले हुए चावल के उत्पादन के लिए बॉयलर लगने से पहले सामान्य छिलका उतारने के बाद सामान्य चावल का उत्पादन पर्यावरण को प्रदूषित किये बिना किया जा रहा था। अपीलार्थी ने दिनांक 11.08.2023 के सी0टी0ओ0 के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक से 300.00 लाख रूपये के ऋण से 16 हजार क्विंटल धान की खरीद की है। सी0टी0ओ0 रद्द करने से धान का पूरा स्टॉक नष्ट होने से भारी वित्तीय हानि हुई। ऋण चुकाने का भी भार अतिरक्ति रूप से आ गया है। प्रथम आपेक्षित आदेश दिनांक 30.03.2024 के आधार पर पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ने वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, की धारा 31ए के अन्तर्गत आक्षेपित आदेश दिनांक 04.02.2025 पारित कर उद्योग /चावल मिल को पूर्णतः बन्द करने का निर्देश दिया गया है। जबकि सामान्य चावल के प्रसंस्करण हेतु बॉयलर चलाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। दिनांक 20.02.2024 आदेश द्वारा मिल को पूर्णतः बन्द करने की वजह से धान का प्रसंस्करण नहीं हो पा रहा है, परन्तु उक्त आदेश अभी तक अपीलकर्ता को अप्राप्त है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अपीलकर्ता ने प्रस्तुत अपील दायर की है। अपीलकर्ता बैंक का ऋण चुकाने में भारी वित्तयी दबाव में है। निर्णय न होने की दशा में बैक ऋण खाता

एन0पी0ए0 में बदल जाने से वित्तीय स्थिति और खराब हो जायेगी। अपीलकर्ता द्वारा अपने अपील मेमो के अन्त में निम्नानुसार अनुतोष हेतु प्रार्थना की गई है :–

"In view of the aforementioned fact and circumstances, the appellant respectfully requests that your goodself may kindly be pleased to set aside the impugned orde dated 30-03-2024 passed by the regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Varanasi Region, (Annexure – '15') as well as order dated 04.02.2025 passed by the Environment Engineer, U.P. Pollution Control Board, T.C.12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow (Annexure – '20') with futher direction to the authority concerned to remove the seal and ensure the peaceful and smooth functioning of the appellant industry forthwith, in the interest of justice and equity."

4. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा प्रश्नगत अपील में आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन में कहा गया है कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी के आदेश दिनांक 30.03.2024 एवं पर्यावरण अभियंता, प्रभारी, वृत्त–6 के आदेश दिनांक 04. 02.2025 के विरूद्ध योजित की गई है। क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा याचिका–सी–संख्या–5638/2024, मे० शिवशक्ति ट्रेडर्स, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टडवा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.03.2024 के अनुपालन में निस्तारण आदेश दिनांक 30.03.2024 पारित किया गया था। उक्त आदेश दिनांक 23.03.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इकाई में स्थापित डी.जी. सेट्स में लगे एक्जास्ट एवं चिमनी की ऊंचाई मानक के अनुसार नहीं थी, इकाई से जनित राख

का निस्तारण इकाई से थोड़ी दूर स्थित तालाब में किया जा रहा था। क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण दिनांक 27.05.2023 में इकाई से 50 मी0 की दूरी पर ग्राम–इलौची तथा 70 मी० की दूरी पर कम्पोजिट विद्यालय इलौची पाया गया, जिसकी स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी जो राईस मिल से काफी पुराना है। इकाई द्वारा भू–प्रयोग प्रमाण पत्र एवं सहमति शुल्क, ऑडिट बैलेन्सशीट एवं राख की डिस्पोज़ल की व्यवस्था के संबंध में सूचना नहीं दी गई थी। प्रश्नगत इकाई के संबंध में विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में की गई जांच में इकाई मानक के अनुसार नहीं पाई गई है। इकाई को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विस्तृत आदेश (प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.03.2024 एवं 04.02.2025) पारित किया गया है, जिसमें समस्त बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए सकारण आदेश पारित किया गया है, जो इस अपील का संलग्नक संख्या–15 एवं 20 है। इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.10.2024 के अनुक्रम में अध्यक्ष, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय आदेश दिनांक 02.05.2024 के माध्यम से एक समिति का गठन कर प्रकरण की जांच कराई गई। समिति द्वारा दिनांक 06.05.2024 को इकाई का निरीक्षण किया गया। समिति द्वारा अपनी आख्या दिनांक 22.05.2024 में उल्लिखित किया गया है कि इकाई से सटे श्री वीरन ठाकुर का मकान, 70 मी० की दूरी पर विद्यालय एवं 50 मी0 की दूरी पर आबादी स्थित है। माननीय एनजीटी द्वारा ओए संख्या–510/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2024 में मानक के विपरीत इकाई का संचालन न किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इकाई द्वारा सहमति शर्तों का पालन न किए जाने के कारण इकाई की सहमति निरस्त की गई थी। मा० एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2024 की प्रति संलग्नक संख्या–1 है। समिति की जांच आख्या दिनांक 22.05.2024 संलग्नक संख्या–2 है। प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.03.2024 इकाई के प्रत्यावेदन दिनांक 01.03.

2024 के निस्तारण के संबंध में है जो इकाई को निर्गत सहमति आदेश दिनांक 11.08.2023 वैद्यता 03.08.2023 से 02.02.2024 को "रिवोक" किए जाने संबंधी आदेश दिनांक 18.08.2023 को वापस लिए जाने के संबंध में था। अवगत कराना है कि प्रश्नगत सहमति आदेश दिनांक 11.08.2023 की वैधता अवधि समाप्त होने के दृष्टिगत उसके संबंध में प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 01.03.2024 के निस्तारण आदेश दिनांक 23.03.2024 के संबंध में प्रस्तुत अपील निष्प्रयोज्य (Infructuous) है। प्रश्नगत इकाई के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका संख्या–2297/2023, देवेश कुमार वर्मा बनाम उ० प्र० राज्य, में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 में इकाई के अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में कथन किया गया है कि इकाई को बंद कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 की प्राप्त इंटरनेट प्रति संलग्नक संख्या–3 है। प्रश्नगत आदेश दिनांक 04.02.2025 इकाई को कारण बताओ नोटिस दिए जाने के उपरान्त एवं उसके प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए माननीय एनजीटी द्वारा ओए संख्या–510/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2024 के अनुपालन में एवं जनहित तथा जनस्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के विरुद्ध प्रश्नगत अपील में किए गए कथन मिथ्या एवं भ्रामक हैं, अपील time barred है एवं delay condonation प्रार्थना पत्र में इकाई द्वारा अपील विलम्ब से दाखिल किए जाने का कोई समुचित कारण स्पष्ट नहीं किया गया है एवं दिन–प्रतिदिन के विलम्ब को स्पष्ट नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत अपील सव्यय निरस्त किए जाने योग्य है।

5. अपीलकर्ता द्वारा आक्षेपित आदेशों के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–6777/2025 मे0 शिव शक्ति ट्रेडर्स व अन्य बनाम भारत सरकार व पांच अन्य

योजित की गयी। जिसमें मा0 उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक 01.04.2025 को निम्नानुसार आदेश पारित किये गये।

"1. Sri Akshey Pratap, Advocate after making brief submission concedes that tha impugned orders are appealable and therefore, prays for withdrawal of the instant petition with liberty to the petitioners to avail the alternative remedy.

2. Accordingly, the instant petition as well as the pending application stands disposed of with liberty to the petitioners to avail such other remedy as may be available in law.

3. This order has been passed in presence of Sri Rajesh Tripathi, counsel for respondent no.1 and Sri Saurabh Tiwari for Vikas Kumar, Intervenor."

6. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील मेमो, विपक्षी द्वारा उस पर प्रस्तुत आपत्ति, उभयपक्षों की बहस सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन से प्रकरण में निम्नानुसार स्थिति सामने आती है। अपीलकर्ता के कथन व उसके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकट होता है कि उसके पिता श्री सर्वचन्द्र गुप्ता द्वारा वर्ष 2002 में आराजी संख्या–129,130,131 एवं 132 ग्राम इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर में चावल मिल की स्थापना की गयी। प्रारम्भ में उक्त चावल मिल सामान्य हलिंग मिल के रूप में कार्यरत थी। कालान्तर में उक्त चावल मिल के क्षमता विस्तार तथा उसके लिए बॉयलर लगाये जाने की आवश्यकता को देखते हुए उसके द्वारा समेकित संचालन सहमति एवं प्राधिकार (सीसीए) हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के समक्ष सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए आवेदन किया गया। अपीलकर्ता को समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 11.08.2023 को क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समेकित संचालन सहमति एवं प्राधिकार (सीसीए)

"Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pullution Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pullution Act, 1981" तथा सी0टी0ओ0 प्रदान किया गया। तत्पश्चात अपीलकर्ता द्वारा पंजाब नेशनल बैंक से 03 करोड़ रूपये का ऋण स्वीकृत कराया गया। जिसका ऋण स्वीकृति पत्र बैंक द्वारा 20.09.2023 को जारी किया गया। अपीलकर्ता द्वारा प्रमाण स्वरूप अपील मेमों के साथ ऋण स्वीकृति पत्र दिनांक 20.09.2023 की छायाप्रति संलग्न की गयी है। अपीलकर्ता का कथन है कि माह फरवरी 2023 में चावल मिल में बॉयलर की स्थापना की गयी, उससे पहले उसके द्वारा सामान्य हलिंग के द्वारा चावल की मिलिंग की जा रही थी। बॉयलर की स्थापना हेतु उसके द्वारा उ0प्र0 बॉयलर निदेशालय से अनापत्ति प्राप्त की गयी। अपीलकर्ता का कथन है कि उसके ही ग्राम के निवासी श्री अमरेश कुमार वर्मा, राजेश कुमार वर्मा, अमरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्रगण रामपति वर्मा आदि उससे ईर्ष्या रखते हैं। जिसमें की अमरेन्द्र कुमार वर्मा वरिष्ठ पी0सी0एस0 अधिकारी हैं, उनके भाई श्री अमरेश कुमार वर्मा भूतपूर्व ग्राम प्रधान हैं तथा देवेश वर्मा व कु0 भावना वर्मा श्री राजेश वर्मा के क्रमशः पुत्र व पुत्री हैं द्वारा अपीलकर्ता के विरूद्ध शिकायतें देना प्रारम्भ कर दिया। अमरेश कुमार वर्मा द्वारा उसके विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 की अन्तर्गत उपजिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही गतिमान कराई गयी, जिसमें अमरेन्द्र कुमार जो कि वरिष्ठ पी0सी0एस0 अधिकारी हैं ने अपने पदीय प्रभाव का भी प्रयोग किया। देवेश कुमार वर्मा और कु0 भावना वर्मा द्वारा दिनांक 04.09.2023 को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी के समक्ष भी एक शिकायत दर्ज करायी गयी जिसमें अमरेन्द्र कुमार द्वारा अपने पदीय प्रभाव का दुरूपयोग किया गया तथा अपीलकर्ता को प्राप्त सी0सी0ए0 व सी0टी0ओ0 दिनांक 11.08.2023 जो कि 03.08.2023 से 02.02.2024 की अवधि के लिए दी गयी थी को अवैध रूप से दिनांक 18.

09.2023 को निरस्त कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.05.2023 को क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपीलकर्ता के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियमन, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की गयी। मुख्य पर्यावरण अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 27.06.2023 को क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को पत्र प्रेषित कर दो निश्चित बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी थी कि आबादी चावल मिल की स्थापना के पूर्व अथवा बाद में आबादी तथा स्कूल बने हैं? तथा कि क्या आवासीय क्षेत्र होने के संबंध में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई प्रमाण पत्र दिया गया है? क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी के पत्र दिनांक 05.07.2023 के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा सभी सूचनाएं साक्ष्य समेत उनको उपलब्ध करायी गयीं थी। अपीलकर्ता द्वारा क्षेत्रीय अधिककारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2023 तथा मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–6, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04. 10.2023 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट सी 5638/2024 शिव शक्ति ट्रेडर्स व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य योजित की थी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2024 को आदेश दिये गये कि आदेश दिनांक 18.09.2023 को नोटिस समझा जाए तथा अपीलकर्ता को 10 दिन के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए तथा तत्पश्चात 04 सप्ताह के अन्दर आदेश पारित किया जाए। अपीलकर्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.02.2024 के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना उत्तर प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखा गया। जिसमें उल्लेख किया कि चावल मिल को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गयी है तथा नियमों के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्थानुसार चिमनी से पाइप कनेक्ट किया गया है, चावल मिल से जो राख निकलती है उसे खुले स्थान पर नहीं डाला जा रहा है बल्कि अपीलकर्ता की भूमि पर

डालकर समुचित ढंग से व्यवस्थित किया जा रहा है, उसके द्वारा मिल के आसपास के क्षेत्र में पेड़/पौधे लगाये गये हैं। मिल के संचालन के समय मिल के अन्दर फर्श पर जो भी राख गिरती है उसकी नियमित रूप से सफाई की जाती है। अपीलकर्ता के उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर समुचित रूप से विचार नहीं किया गया तथा शिकायतकर्ताओं जिनके कि परिवार में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी है, के प्रभाव में आपेक्षित आदेश दिनांक 30.03.2024 पारित कर दिया गया, जिसमे कारण बताओं नोटिस में दिये गये निष्कर्षों की ही पुनरावृत्ति की गयी, जोकि शिकायतकार्ता के कहने पर तैयार किया गया था तथा कोई स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया। चावल मिल के आसपास रहने वाले लोगों ने कभी कोई शिकायत नहीं की तथा हमारे पक्ष में बड़ी संख्या में आसपास रहने वाले ग्राम वासियों ने शपथ पत्र दिये हैं जो कि संलग्न हैं। क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 सपठित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 30.03.2024 द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में दिए गये सी0सी0ए0 तथा सी0टी0ओ0 दिनांक 11.08.2023 को अपास्त कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि वायु तथा जल प्रदूषण को मापने की सम्बन्धित अधिनियमों में एक निश्चित प्रक्रिया दी गयी है जिसका पालन नहीं किया गया तथा प्रदूषण करने वाले अवयवों के निर्धारण के लिए पानी अथवा हवा का कोई नमूना नहीं लिया गया, जिसकी की जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम की धारा–21 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, की धारा–26 में व्यवस्था दी गयी है। अपीलकर्ता का यह भी कथन है कि सी0टी0ओ0 जारी करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण किया गया था और सभी व्यवस्थायें ठीक पाये जाने के उपरान्त ही सी0टी0ओ0 जारी किया गया था। आपेक्षित आदेश दिनांक 30.03.2024 के आधार पर ही पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा दिनांक 04.02.2025 को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम की धारा–21 के अन्तर्गत आक्षेपित बन्दीकरण आदेश पारित किया गया।

7. अपील के विरूद्ध विपक्षी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में उल्लेख किया गया है कि इकाई में स्थापित डी0जी0 सेट्स में एक्जास्ट एवं चिमनी की ऊंचाई मानक के अनुसार नहीं थी इकाई से जनित राख का निस्तारण इकाई से थोड़ी दूर में स्थित तालब में किया जाता था। दिनांक 27.05.2023 में क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण में 50 मीटर की दूरी पर ग्राम इलौची तथा 70 मीटर की दूरी पर कम्पोजिट विद्यालय पाया गया जिसकी स्थापना सन 1950 में की गयी थी। इकाई द्वारा भू उपयोग प्रमाण सहमति शुल्क, ऑडिट बैलेन्स शीट राख की डिस्पोजल के संबंध में भी सूचना नहीं दी गयी। यहां यह आश्चर्यजनक है कि दिनांक 27.05.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण में कमियाँ पायी गयी थी तो दिनांक 11.08.2023 को सी0सी0ए0/सीटीओ किन परिस्थितियों में प्रदान किया गया। विपक्षी का कथन है कि अध्यक्ष उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02.05.2024 के माध्यम से एक समिति का गठन कर जांच करायी गयी थी जिसने अपनी रिपोर्ट 06.05.2024 को दी गई। समिति द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि इकाई से सटे श्री विरेन्द्र ठाकुर का मकान, 70 मीटर की दूरी पर विद्यालय तथा 50 मी0 की दूरी पर आबादी स्थित है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 510/2024 में पारित दिनांक 08.05.2024 द्वारा इकाई का संचालन न किये जाने के संकेत दिये गये हैं। इकाई द्वारा सहमति शर्तों का पालन न किये जाने के कारण इकाई की सहमति निरस्त की गयी थी।

8. उभयपक्षों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित चावल मिल वर्ष 01.07.2002 से संचालित था । समस्या तब आरम्भ

हुई जब अपीलकर्ता द्वारा वर्ष 31.12.2024 में स्टीम्ड राइस बनाने के लिए बॉयलर की स्थापना की गयी। अपीलकर्ता द्वारा इस कार्य हेतु बॉयलर निदेशालय से अनुज्ञा प्राप्त की गई। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा और औषधी प्रशासन विभाग का लाइसेन्स, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, यूसूफपुर से लाइसेन्स प्राप्त किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से वांछित प्रपत्र प्राप्त किया गया। सुक्ष्म, लघु एवं उद्योग मंत्रालय से उद्यम रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया गया। उसके द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी के समक्ष समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त उसे दिनांक 11.08.2023 को सीसीए/सीटीओ प्रदान किया गया। सम्पूर्ण मामले को देखने से प्रकट होता है कि ग्राम के कतिपय निवासियों द्वारा जो कि तथाकथित रूप से राजनीतिक व प्रशासनिक रूप से प्रभावशाली हैं द्वारा शिकायतें की गयीं। शिकायतकर्ताओं में मुख्यतः एक ही परिवार से सम्बद्ध व्यक्ति प्रतीत होते हैं। उक्त शिकायतों के आधार पर दिनांक 11.08.2023 को प्रदत्त सीसीए/सीटीओ लगभग एक माह पश्चात ही 18.09.2023 को निरस्त कर दी गयी। उद्योग की स्थापना करना एवं उसको संचालित करना एक गम्भीर कार्य है जिसमें बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है तथा विभिन्न विभागों से अनापत्तियाँ/अनुज्ञायें भी प्राप्त करनी होती हैं जिसको कि अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया था। अपीलकर्ता को प्रदत्त सीसीए/सीटीओ दिनांक 11.08.2023 के आधार पर ही उसके द्वारा पंजाब नेशनल बैंक से ऋण हेतु आवेदन किया गया जोकि उसे दिनांक 20.09.2023 को स्वीकृत किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि दिनांक 11.08.2023 को सीसीए/सीटीओ देने तथा एक माह पश्चात ही 18.09.2023 को निरस्त करने से अपीलकर्ता को अपूर्णीय क्षति हुई है। उक्त वस्तुस्थिति से प्रकट होता है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सम्बन्धित अधिकारियेां द्वारा सीसीए/सीटीओ जैसे गम्भीर विषय में अत्यन्त सतही तौर पर बिना उसकी गम्भीरता पर चिंतन किये अत्यन्त जल्दबाजी में

कार्यवाही की गयी, जिससे न केवल प्रश्नगत उद्योग बन्द हो गया बल्कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा दिया गया ऋण भी एन0पी0ए0 में परिवर्तित होने की स्थिति में पहुंच गया।

9. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियग, की धारा–26 में वायु के नमूना एकत्र करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था दी गयी है:–

26. वायु या उत्सर्जन के नमूने लेने (1) राज्य बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी को विश्लेषण के प्रयोजन के लिए वायु के या किसी चिमनी, वाहिनी या घूमनाल या किसी अन्य निकास से उत्सर्जन के नमूने ऐसी रीति से लेने की शक्ति होगी, जो विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन उत्सर्जन के लिए, लिए गए किसी नमूने के किसी विश्लेषण का परिणाम किसी विधिक कार्यवाही में साक्ष्य में तब तक ग्राह्य नहीं होगा जब तक कि उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया गया हो।

(3) उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जब उत्सर्जन का नमूना उपधारा (1) के अधीन विश्लेषण के लिए लिया गया है, तब नमूना लेने वाला व्यक्ति–

(क) इस प्रकार विश्लेषण कराने के अपने आशय की सूचना ऐसे प्रारूप में, जो विहित किया जाए, अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता पर तुरन्त तामील करेगा;

(ख) अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता की उपस्थिति में, विश्लेषण के लिए, उत्सर्जन का नमूना लेगा;

(ग) नमूने को आधान या आधानों में रखवाएगा जिसे चिन्हित और सीलबन्द किया जाएगा और उस पर नमूना लेने वाला व्यक्ति और अधिष्ठाता या उसका अभिकर्ता, हस्ताक्षर करेंगे;

(घ) धारा 17 के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को, आधान या आधानों को, अविलम्ब भेजेगा अथवा, यदि अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता द्वारा उस निमित्त अनुरोध किए जाने पर जब उस पर खण्ड (क) के अधीन सूचना की तामील की जाती है, तो वह धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित या विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को अविलम्ब भेजेगा।

(4) जब उपधारा (1) के अधीन विश्लेषण के लिए उत्सर्जन का नमूना लिया जाता है और नमूना लेने वाला व्यक्ति अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता पर उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की तामील करता है, तब–

(क) ऐसे मामले में जहां अधिष्ठाता या उसका अभिकर्ता जानबूझकर अनुपस्थित रहता है, वहां नमूना लेने वाला व्यक्ति विश्लेषण के लिए उत्सर्जन का नमूना लेगा और नमूने को आधान या आधानों में रखवाएगा, जिसे चिन्हित और सीलबन्द किया जाएगा और नमूना लेने वाला व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर करेगा; और

(ख) ऐसे मामले में जहां नमूना लिए जाने के समय अधिष्ठाता या उसका अभिकर्ता उपस्थित रहता है, किन्तु उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन अपेक्षित रूप मे उत्सर्जन के नमूने के चिन्हित और सीलबन्द आधान या आधानों पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है वहां, चिन्हित और सीलबन्द आधान या आधानों पर, नमूना लेने वाला व्यक्ति, हस्ताक्षर करेगा;

और आधान या आधानों को धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित या विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए अविलम्ब भेजेगा और ऐसा व्यक्ति धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सरकारी विश्लेषक को अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता के, यथास्थिति, जानबूझकर अनुपस्थित रहने का आधान या आधानों पर हस्ताक्षर करने से उसके इन्कार करने के बारे में, लिखित जानकारी देगा।

10. जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम में धारा 21 में प्रदूषण मापने हेतु जल का नमूना एकत्र करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था दी गयी है :–

21. बहिःस्रावों के नमूने लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया (1) राज्य बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह विश्लेषण के प्रयोजन के लिए क्षेत्र की किसी सरिता या कुएं से जल के अथवा किसी ऐसे मल अथवा व्यावसायिक बहिःस्राव के, जो किसी संयंत्र या जलयान से या किसी स्थान से या उसके ऊपर से किसी ऐसी सरिता या कुएं में जा रहा हो, नमूने ले।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी मल या व्यावसायिक बहिःस्राव के लिए गए किसी नमूने के किसी विश्लेषण का परिणाम किसी विधिक कार्यवाही में साक्ष्य में तब तक ग्राह्य नहीं होगा जब तक कि उपधारा (3), (4) और (5) के उपबन्धों का पालन न कर दिया जाए।

(3) उपधारा (4) और (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जब किसी मल या व्यावसायिक बहिःस्राव का नमूना (मिश्रित या अन्यथा जैसा भी प्रयुक्त प्रक्रिया में

आवश्यक हो) उपधारा (1) के अधीन विश्लेषण के लिए लिया गया हो, तब नमूना लेने वाला व्यक्ति—

(क) संयंत्र या जलयान के प्रभारी या उस पर नियंत्रण रखने वालें या उस स्थान के अधिष्ठाता व्यक्ति को (जिस व्यक्ति को इसमें इसके पश्चात् अधिष्ठाता कहा गया है) अथवा ऐसे अधिष्ठाता के किसी अभिकर्ता को वहीं तत्काल उसके विश्लेषण करने के अपने किसी आशय की सूचना की तामील ऐसे प्ररूप में करेगा जो विहित किया जाए;

(ख) अधिष्ठाता या अधिष्ठाता के अभिकर्ता की उपस्थिति में नमूने को दो भागों में विभाजित करेगा;

(ग) हर भाग को एक आधान में रखवाएगा जिसे चिन्हित और सीलबन्द कर दिया जाएगा और नूमना लेने वाले व्यक्ति और अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता, दोनों द्वारा, हस्ताक्षरित भी किया जाएगा;

(घ) एक आधान को तुरन्त, –

(i) उस दशा में, जहां ऐसा नमूना किसी संघ राज्यक्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से लिया गया है, धारा 16 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला को भेजेगा, और

(ii) किसी अन्य दशा में धारा 17 के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला को भेजेगा;

(ङ) दूसरे आधान को अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता के अनुरोध पर,–

(i) उस दशा में जब नमूना संघ राज्यक्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से लिया गया है, धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित या विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को भेजेगा, और

(ii) किसी अन्य दशा में, धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित या विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को भेजेगा।

[1][(4) जब उपधारा (1) के अधीन विश्लेषण के लिए किसी मल या व्यावसायिक बहिःस्राव का नमूना लिया जाता है और नमूना लेने वाला व्यक्ति अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता पर उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना तामील करता है और अधिष्ठाता या उसका अभिकर्ता जानबूझकर अनुपस्थित रहता है, तब–

(क) इस प्रकार लिया गया नूमना एक आधान में रखा जाएगा जिसे चिन्हित तथा सीलबन्द किया जाएगा और नमूना लेने वाला व्यक्ति उस पर अपना हस्ताक्षर भी करेगा और उसे उपधारा (3) के खण्ड (ङ) के, यथास्थिति, उपखण्ड (प) या उपखण्ड (पप) में निर्दिष्ट प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए तुरन्त भेजेगा और वह व्यक्ति द्वारा धारा 53 की, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन नियुक्त सरकारी विश्लेषक को अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता के जानबूझकर अनुपस्थित होने के बारे में लिखित जानकारी देगा; और

(ख) ऐसे नमूने का विश्लेषण कराने में उपगत खर्च अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता द्वारा संदेय होगा और ऐसे संदाय में व्यतिक्रम होने की दशा में वह, यथास्थिति, अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता से भू–राजस्व या लोक मांग की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा:

परन्तु ऐसी कोई वसूली तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि, यथास्थिति, अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता को उस विषय में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।]

(5) जब उपधारा (1) के अधीन विश्लेषण के लिए किसी मल या व्यावसायिक बहिःस्राव का नमूना लिया जाता है और नमूना लेने वाला व्यक्ति अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता पर उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना तामील करता है और अधिष्ठाता या उसका अभिकर्ता, जो नमूना लेने के समय उपस्थित है, उपधारा (3) के खण्ड (क) में यथा उपबन्धित नमूने को दो भागों में विभाजित करने के लिए अनुरोध नहीं करता है तब, इस प्रकार लिया गया नमूना एक ऐसे आधान में रखा जाएगा जिसे चिन्हित तथा सीलबन्द किया जाएगा और नमूना लेने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे और उपधारा (3) के खण्ड (घ) के, यथास्थिति, उपखण्ड (i) या उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए उस व्यक्ति द्वारा तुरन्त भेजा जाएगा।

11. सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 30.03.2024 तथा 04.02.2025 पारित करने से पूर्व वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–26 तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–21 का अनुपालन करते हुए कोई नमूना आदि लेने की कार्यवाही की गयी हो, ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

12. अपीलकर्ता के पक्ष में चावल मिल चलाने हेतु ग्राम वासियों द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। जिनमें श्री आशीष गुप्ता, धनन्जय गुप्ता, गुड्डू गुप्ता, सूरज गुप्ता, सोमनाथ राय, प्रदीप कुमार गुप्ता, अवनीश राय, राजेन्द्र यादव, इंदा राय, हरिकिशुन राय, लाल

बिहारी राम, रणजीत राम, राम जी राम, रामासागर राम, पवन राय, दीप चन्द्र राय, इंदू गुप्ता, राम प्रवेश राय, विद्या देवी, छवी नाथ राम, राम निवास गुप्ता, विक्की गुप्ता, अभिषेक राय, प्रियंका गुप्ता, अंकुश गुप्ता, राजेश गुप्ता, भीम खरवार, छोटे लाल गुप्ता, अजय कुमार गुप्ता, अशोक कुमार गुप्ता, किशन गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, प्राशून राय, कंचन गुप्ता, बिन्दू गुप्ता एवं किशन गुप्ता अपने शपथ पत्रों में कहा गया है कि उन्हें चावल मिल से उनको कोई आपत्ति या दिक्कत नहीं है। उक्त से अपीलकर्ता के इस तर्क को बल मिलता है कि ग्राम के एक प्रभावशाली परिवार की शिकायत के आधार पर ही, बिना अन्य ग्रामवासियों का अभिमत लिए उसके विरूद्ध उद्योग बन्दीकरण जैसी गम्भीर कार्यवाही कर दी गयी जबकि उसके द्वारा समस्त विभागों से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की गयीं थीं। तत्पश्चात् ही उसको दिनांक 11.08.2023 को सीसीए/सीटीओ प्रदान की गयी थी। डीजी सेट तथा चिमनी में यदि मानक में कोई कमी भी थी तो उसे पूर्ण कराया जा सकता था। अन्य कमियों को पूर्ण करने हेतु भी अपीलकर्ता को समय दिया जाना चाहिए था।

13. उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति तथा विवेचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.03.2024 तथा पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 04.02.2025 में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तथा उपरोक्त आक्षेपित आदेश स्थिर रहने योग्य प्रतीत नहीं होते हैं।

14. अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.03.2024 तथा पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 04.02.2025 अपास्त/निरस्त किये जाते हैं। अपीलकर्ता की अपील स्वीकार की जाती है तथा क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड वाराणसी/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण के सभी पक्षों पर ध्यान देते हुए सीसीए/सीटीओ के संबंध में निर्णय लिया जाए। इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि उभयपक्षों को उपलब्ध करायी जाए।

प्रमाणित प्रति

(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

23.07.2025

अपीलीय प्राधिकारी/विशेष सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

(घनश्याम सिंह)
विशेष सचिव,
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग
उ0प्र0, शासन।